



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2188

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43281 वर्ष 2025

वसीम उर्फ चीनी

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: गौरव सिंह तोमर, मोहम्मद नौशाद

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंह तोमर और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अरिमर्दन यादव की बात सुनी गई और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक

वसीम उर्फ चीनी की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 577/2025, नशीली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21 के तहत, पुलिस स्टेशन- कैराना, जिला- शामली में उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 2 किलो 55 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद होने का आरोप है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। कोई रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 04.11.2025 से जेल में है और जिसके नाम पर एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उनका कहना है कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप मिलने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक का चरित्र, आरोपी से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

अतः जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक **वसीम उर्फ चीनी**, जो उपरोक्त मामले में अपराध के आरोपी हैं, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करें, प्रत्येक समान राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

1. आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

6 जनवरी, 2026

विनोद.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।